न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी – श्रीमती निमिषा गुप्ता ,आर ए एस

अपील संख्या– आरटीए/15/2013

उनवान

1. बजरंग पुत्र लादू खाती नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमती प्रेम देवी पत्नी लादू खाती निवासी भगवानपुरा मजरा सियाणा तहसील जहाजपुर जिला भीवलाडा
2. श्रीमती प्रेम देवी पत्नी लादू खाती निवासी भगवानपुरा मजरा सियाणा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा
3. रामेश्वर पुत्र रामकरण खाती निवासी सियाणा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा
4. छोटू पुत्र रामकरण खाती निवासी सियाणा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा
5. श्रीमती नन्दूबेवा रामकरण खाती निवासी सियाणा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट्स

बनाम

1. काना आत्मज बरदा खाती निवासी सियाणा तहसी जहाजपुर जिला भीलवाडा
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जहाजपुर जिला भीलवाडा

प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, जहाजपुर के प्रकरण संख्या 480/2007 निर्णय एवं डिक्री दि0 15.10.2012

अभिभाषक : 1. श्री आर एल जाट, अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2.श्री जे सी दाधीच अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1

आदेश

दिनांक 21.8.2017

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1/वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 92 ए, एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सिंयाणा पटवार हल्का फलासिया की आराजी नम्बर 95 रकबा 6.00 बीघा , आराजी नम्बर 102 रकबा 6 बीघा 07 बिस्वा, आराजी नम्बर 145 रकबा 16 बीघा 17 बिस्वा , आराजी नम्बर 406 आता चाह रकबा 0.02 बिस्वा, आराजी नम्बर 755/2 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा, आराजी नम्बर 773 आता चाह रकबा 0.03 बिस्वा कुल किता 6

रकबा 32 बीघा 01 बिस्वा स्थित है। जो चालू राजस्व रेकार्ड में वादी का 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 का 2/3 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 का परिवार का सजरा इस प्रकार हैः–

विष्णा फौत

जोधा (पुत्र) फौत बगतावर (पुत्र) (नाऔलाद फौत) कल्याण (पुत्र)

बरदा(फौत) रामकरण (फौत)

काना

लादु (फौत) रामेष्वर पुत्र प्रति.सं.3 छोटु पुत्र प्रति.सं. 4 नन्दु पत्नि

बजरंग (पुत्र) प्रति सं1 प्रेम(पत्नि) प्रति.सं.2

2. उक्त वर्णित आराजियात एवं आराजी चाह सेटलमेण्ट के पूर्व वादी के पिता बरदा व प्रतिवादी संख्या 1 के दादा रामकरण प्रतिवादीसंख्या 2 के ससुर एवं प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के पिता रामकरण व प्रतिवादी संख्या 5 के पति रामकरण के खाते में पृथक पृथक एवं संयुक्त दर्ज थी। परन्तु वक्त सेटलमेण्ट राजस्व रेकार्ड अधिकारारियों ने मनमर्जी से मिलान खसरा में एवं सेटलमेण्ट से पूर्व एवं पहली जमाबंदी बंदोबस्त मिषल में बताये सजरे के अनुसार इन्द्राज नहीं करके राजस्व रेकार्ड अधिकारियों द्वारा मनमर्जी अनुसार रेकार्ड में इन्द्राज कर दिया गया । जबकि विष्णा के 3 पुत्र जोधा, बगतावर व कल्याण पैदा हुए जोधा के बालू पुत्र हुआ उसके कोई जीवित संतान नहीं है। बगतावर ला औलाद फौत हो गया है। कल्याण के दो पुत्र बरदा व रामकरण पुत्र हुए, परन्तु कभी तो रामकरण को बगतावर का दत्तक पुत्र बता दिया व वक्त सेटलमेण्ट भी रामकरण को बालू एवं बगतावर का पुत्र बता दिया जबकि रामकरण कल्याण का पुत्र था। बगतावर विष्णा का पुत्र था इस प्रकार जोधा, बगतावर व कल्याण सगे भाई है। इनके वारिस बरदा व रामकरण जो कल्याण के पुत्र है। नामान्तकरण संख्या 431 में रामकरण को बगतावर का

मुतबन्ना दर्ज बताया व इसी नामकरण में रामकरण व बगतावर का पिता कल्याण बताया जो गलत है एवं इन्तकाल नम्बर 33 में बरदा, रामकरण व बगतावर का पिता कल्याण को बताया यह भी सजरा के माफिक गलत है । जबकि वर्तमान में वाद पत्र में वर्णित कृषि आराजियात एवं आराजी चाह पर 1/2 हक हिस्से पर वादी का कब्जा व 1/2 हिस्से पर प्रतिवादी संख्या 1 से 5 का कब्जा होकर कब्जानुसार काबिज होकर काष्त कर रहे हैं। इसलिए वादी वाद पत्र में वर्णित कृषि आराजी एवं आता चाह में 1/2 हक व हिस्से पर खातेदार काष्तकार घोषित करवाने का विधिक अधिकारी एवं ऐसा किया जाना आवष्यक एवं न्यायसंगत है। एवं अन्य आराजियात जो वादी व प्रतिवादी संख्या 1 स 5 के अलग–अलग खाते में दर्ज है। वह भी पैतृक कृषि भूमि बरदा व रामकरण के खातों की थी परन्तु राजस्व रेकार्ड अधिकारियों के मनमकसूद तरीके से सेटलमेण्ट के वक्त बरदा व रामकरण के काकाजी बगतावर को भी बरदा व रामकरण का भाई बता दिया जो गलत बताया है। तत्पष्चात इन्तकाल नम्बर 431 के जरिये बगतावर को लाऔलाद बताकर बगतावर के हिस्से की जमीन को प्रतिवादी संख्या 1 से 5 ने अपने नाम करवा ली तथा अपने नाम खाता होने का नाजायज फायदा उठाकर कृषि आराजी को प्रतिवादी संख्या 1 से 5 बेचान करने पर आमादा है तथा कब्जाकाष्त में बाधा उत्पन्न करना चाह रहे हैं। इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 से 5 वादी के हिस्से में आई 1/2 हक हिस्से की आराजी का बेचवान न करें ए वं कब्जाकाष्त में बाधा न तो डाले एवं न ही किसी अन्य से डलवावें इस बाबत स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री से पाबन्द कराये जाने एवं उक्त कृषि आराजियात में वादी का 1/3 हक व हिस्से के स्थान पर 1/2 हक व हिस्से पर खातेदार काष्तकार घोषित कराये जाने का निवेदन किया । अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री द्वारा वादी का वाद पत्र स्वीकार किया गया । जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण ने यह प्रथम अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की ।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई एवं उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील में हुए विलम्ब को कण्डोन किये जाने का निवेदन किया ।

5. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि एवं तथ्यों के विपरीत है। उनका तर्क है कि अपीलार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है जिससे अपीलार्थीगण अपना पक्ष प्रस्तुत करने से वंचित रह गये है। अपीलार्थीगण को उनके अधिवक्ता द्वारा यह कहा गया था कि रेवेन्यू का मामला है एवं प्रकरण कई वर्षो तक चलेगा इसलिए हर पेषी पर प्रतिवादीगण/अपीलार्थीगण को उपस्थित होने की जरूरत नहीं है। अधिवक्ता द्वारा अपीलार्थीगण को कोई सूचना नही दी गई एवं जानकारी करने पर भी संतोषप्रद जवाब नहीं दिये जाने पर जब अपीलार्थीगण न्यायालय पहॅूचें एवं जानकारी की तो पता चला कि प्रकरण में एकतरफा निर्णय पारित किया जा चुका है। अधिवक्ता के उपस्थित नहीं होने से अपीलार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय निर्णय एवं डिक्री पारित की गई । प्रकरण कृषि आराजियात से संबंधित होकर अपीलार्थीगण के हक हितों क निस्तारण से संबधित है। अतः अपीलार्थीगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना न्यायोचित रहेगा । अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे एवं प्रकरण को रिमाण्ड किया जावे।

6. अधिवक्ता प्रत्यर्थी का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण की प्रोपर तामिल हुई थी एवं उसके बावजूद प्रतिवादीगण के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई थी। जिस पर प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेष 9 नियम 7 सी पी सी दिनांक 26.12. 2007 को प्रस्तुत किया गया जिसे दिनांक 17.3.2008 को स्वीकार किया गया । उसके बाद पुनः प्रतिवादीगण एवं उनके अधिवक्ता के उपस्थित नहीं होने पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गइ। प्रतिवादीगण का कथन कि उनके अधिवक्ता द्वारा उन्हें कोई सूचना नहीं दी गई। जबकि प्रतिवादीगण को समय–समय पर प्रकरण की जानकारी अपने अधिवक्ता से करनी चाहिये थी। अधीनस्थ

न्यायालय ने बाद विचारण जो निर्णय पारित किया है जो विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थीगण खारिज की जावे।

7. अधिवक्ता प्रत्यर्थी का यह भी निवेदन है कि अपीलार्थीगण ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत की है जिसका कोई पर्याप्त कारण उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः अपील अपीलार्थीगण मियाद के बिन्दु पर भी खारिज की जावे।

8. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया । अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील को अन्दर मियाद मानने का निवेदन किया । अपीलार्थीगण ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भावी एवं संतोषप्रद होने के कारण अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलार्थीगण अन्दर मियाद मानी जाती है।

9. प्रकरण का अवलोकन करने से यह जाहिर आया कि वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सियाणा पटवार हल्का फलासिया की आराजी नम्बर 95 रकबा 6 बीघा आराजी नम्बर 102 रकबा 6 बीघा 7 बिस्वा, आराजी नम्बर 145 रकबा 16 बीघा 17 बिस्वा, आराजी नम्बर 406 रकबा आता चाह 0.02 बिस्वा, आराजी नम्बर 755/2 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा , आराजी नम्बर 773 रकबा आता चाह 0.03 बिस्वा, कुल किता 6 रकबा 32 बीघा 01 बिस्वा स्थित है। जो चालू रेकार्ड में वादी का 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 का 2/3 हिस्सा दर्ज है। जबकि वादी का निवेदन है कि वादग्रस्त आराजियात में वादी का 1/2 हक हिस्सा बनता है। वादी द्वारा प्रस्तुत सजरे के अनुसार मूल पुरूष विष्णा के तीन पुत्र क्रमषः जोधा, बगतावर, कल्याण थे। जिसमें से जोधा, एवं बगतावर फौत हो गये एवं उनके कोई वारिस नहीं थे। तीसरा पुत्र कल्याण था जिसके दो पुत्र बरदा एवं रामकरण थे। वादी काना बरदा का पुत्र है। एवं रामकरण की मृत्यु के उपरान्त उनके तीन पुत्र लादू, रामेष्वर, छोटू, एवं उनकी पत्नि नन्दु रहीं । लादू की भी मृत्यु हो चुकी है जिनके वारिस बजरंग एवं पत्नि प्रेम क्रमषः प्रतिवादी संख्या 1 व 2 है। तथा रामकरण के पुत्र रामेष्वर

प्रतिवादी संख्या 3, छोटू प्रतिवादी संख्या 4 एवं नन्दु पत्नि रामकरण प्रतिवादी संख्या 5 है। सजरे के अनुसार वादी का मौरूसी जायदाद में 1/2 हिस्सा एवं शेष हिस्सा 1/2 प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 बनता है। परन्तु राजस्व रेकार्ड में वादी का 1/3 हिस्सा दर्ज किया गया एवं शेष 2/3 हिस्सा प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दिया गया । अधीनस्थ न्यायालय में सरपंच द्वारा भी इसी अनुरूप सजरे को प्रमाणित किया है। सजरे के अनुसार विष्णा के तीन पुत्र जोधा, बगतावर, कल्याण हुए जिसमें से जोधा फौत हो गया एवं बगतावर के कोई औलाद नहीं थी। ऐसी स्थिति में विष्णा के मात्र एक पुत्र कल्याण मौरूसी जायदाद का हकदार रहा । कल्याण के दो पुत्र बरदा एवं रामकरण हुए। वादी बरदा का पुत्र है एवं शेष प्रतिवादीगण रामकरण के वारिसान एवं प्रतिवादी संख्या 1 बजरंग रामकरण का पौत्र है। ऐसी स्थिति में सजरे के अनुसार वादग्रस्त मौरूसी आराजियात में 1/2 हिस्सा वादी काना का बनता है एवं 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 से 5 का बनता है। राजस्व रेकार्ड में गलती से कभी तो रामकरण को बगतावर का दत्तक पुत्र बना दिया ए वं कभी बगतावर को विष्णा का बेटा होते हुए भी कल्याण का पुत्र बता दिया व वक्त सेटलमेण्ट रामकरण को बालू एवं बगतावर का पुत्र बता दिया जबकि रामकरण कल्याण का पुत्र था। नामान्तरकरण संख्या 431 में रामकरण को बगतावर का मुतबन्ना दर्ज बताया एवं इसी नामकरण में रामकरण बगतावर का पिता कयाण बताया गया है जो गलत है एवं इन्काल नम्बर 33 में बरदा, रामकरण व बगतावर का पिता कल्याण को बताया गया है। जो सजरे के अवलोकन से गलत प्रमाणित होता है। अधीनस्थ न्यायालय ने वादी ने अपने पक्ष में राजस्व रेकार्ड प्रस्तुत किया एवं गवाह पी डब्ल्यू 1 काना, पी डब्ल्यू 2 भैरू एवं पी डब्ल्यू 3 महावीर के बयान कराये। राजस्व रेकार्ड, गवाहान के बयान एवं सजरे का अवलोकन करने से यह तथ्य साबित होता हे कि वादग्रस्त आराजियात में वादी/प्रत्यर्थी का 1/2 हक हिस्सा बनता है। उसी अनुरूप अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय पारित किया है अपीलाधीन निर्णय की पालना में राजस्व रेकार्ड में अंकन भी किया जा चुका है।

10. अपीलार्थीगण का यह कथन कि उनको अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है, परन्तु अपीलार्थीगण ने अपील में कोई न तो सजरा

गलत होने का कथन किया है एवं न ही ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की है जिसके आधार पर प्रकरण को रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता हो एवं अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण की प्रोपर तामिल हुई थी एवं उसके बावजूद प्रतिवादीगण के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई थी। जिस पर प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेष 9 नियम 7 सी पी सी प्रस्तुत किया गया जिसे दिनांक 17.3.2008 को स्वीकार किया गया। उसके बाद प्रतिवादीगण एवं उनके अधिवक्ता के उपस्थित नहीं होने पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई। ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण का यह कथन कि उन्हें अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है ।

11. अतः अपील अपीलार्थीगण सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.10.2012 को यथावत रखा जाता है। पर्चा डिक्री मूर्तिब किया जावे।

12. निर्णय आज दिनांक 21.8.2017 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(निमिषा गुप्ता)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा

अपील संख्या– आरटीए / 15 / 2013

उनवान

1. बजरंग पुत्र लादू खाती नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमती प्रेम देवी पत्नी लादू खाती निवासी भगवानपुरा मजरा सियाणा तहसील जहाजपुर जिला भीवलाडा
2. श्रीमती प्रेम देवी पत्नी लादू खाती निवासी भगवानपुरा मजरा सियाणा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा
3. रामेश्वर पुत्र रामकरण खाती निवासी सियाणा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा
4. छोटू पुत्र रामकरण खाती निवासी सियाणा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा
5. श्रीमती नन्दूबेवा रामकरण खाती निवासी सियाणा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट्स

बनाम

1. काना आत्मज बरदा खाती निवासी सियाणा तहसी जहाजपुर जिला भीलवाडा
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलार, जहाजपुरी जिला भीलवाडा

प्रत्यर्थीगण

अपील विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, जहाजपुर के प्रकरण संख्या 480 / 2007 निर्णय एवं डिक्री दि0 15.10.2012

अभिभाषक : 1. श्री आर एल जाट, अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2.श्री जे सी दाधीच अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1

अपील में डिक्री

(आदेष 41 का नियम 35)

उक्त प्रकरण संख्या आर**टीए / 15 / 2013** मे **उपखण्ड अधिकारी, जहाजपुर** के आदेष की अपील इस न्यायालय मे होने पर निम्नांकित डि्क्री जारी की जाती हैः–

यह अपील तारीख 21.8.2017 को अपीलाण्ट की ओर से श्री आर एल जाट वकील एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से श्री जे सी दाधीच की उपस्थिति मे दिनांक 21.8.2017 को सुनवाई के लिये आने पर आदेष दिया जाता है कि :–

अपील अपीलार्थीगण सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.10.2012 को यथावत रखा जाता है।

इस अपील के खर्चे जिनका ब्यारा नीचे दिया जा रहा है जिनकी रकम है तथा अपीलाण्ट के द्वारा दिये जाने है तथा मूल वाद के खर्चे जो प्रत्यर्थी द्वारा दिये जाने है।

आज दिनांक 21.8.2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से यह डि्क्री जारी की जाती है।

(निमिषा गुप्ता)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा

अपील के खर्चे

अपीलाण्ट	रेस्पोडेण्ट
1. अपील के लिये ज्ञापन	1. षक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
2. षक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	2. अर्जी के लिये स्टाम्प
3. आदेषिकाओं की तामील	3. आदेषिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस	4. प्लीडर की फीस

3. भू प्रबन्ध विभाग का प्रस्तुत मिलान क्षेत्रफल का अवलोकन किया गया । इसके अवलोकन से यह तथ्य पूर्णतया प्रमाणित है कि साबिक आराजी नम्बर 345 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा का हाल आराजी नम्बर 1704 रकबा 0.85 हेक्टर कायम किया गया । उक्त साबिक आराजी नमबर 345 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा को प्रत्यर्थी जगदीष पिता लालूराम ब्राह्मण ने तत्कालीन खातेदार षिव सिंह पिता किषन सिंह से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया एवं उसके उपरान्त उक्त आराजी प्रत्यर्थी षिव सिंह पिता ज्ञान सिंह राजपूत निवासी आमेसर को विक्रय कर कब्जा सुपुर्द किया । उक्त रकबा भू प्रबन्ध के बाद पुनः जगदीष पिता लालूराम एवं अपीलार्थी के नाम संयुक्त रूप से खातेदारी हक से दर्ज कर दिया गया । जबकि वादग्रस्त आराजियात में अपीलार्थी का कोई हक हिस्सा निहित नहीं था एवं न ही वादग्रस्त आराजियात पूर्व में कभी अपीलार्थी के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज थी। इस संबंध में अपीलार्थी ने भी ऐसा कोई दस्तावेज न तो अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया एवं न ही न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया जिससे यह प्रमाणित हो कि वादग्रस्त आराजी नम्बर 345 पूर्व में कभी उसके नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज रही हो। भू प्रबन्ध कार्यवाही के

दौरान सहवन से अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी लालूराम का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज कर दिया गया । जिसे दुरूस्त किया जाकर वादी/प्रत्यर्थी षिव सिह के नाम पर दर्ज किया जाना न्यायोचित था। अधीनस्थ न्यायालय ने दावा, जवाब दावे के आधार पर तनकियात कायम की एवं उपलब्ध दस्तोवज, राजस्व रेकार्ड के आधार पर तनकीवाई गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया है । वह विधिसम्मत है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

4. अतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.8.11 को यथावत रखा जाता है। डिक्री पर्चा मूर्तिब किया जावे।